

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या.- 948/2026

सत्यम पांडे

..... आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: - गौरव शुक्ला, सुयश शुक्ला
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	: - शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

आवेदनकर्ता द्वारा दाखिल किए गए अनुपूरक शपथ-पत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।

आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

यह आवेदनकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन है, जो वाद अपराध संख्या 438/2025, अंतर्गत धारा 61(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना- गाजीपुर, जनपद लखनऊ से संबंधित है।

आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि आवेदनकर्ता निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदनकर्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद भी नहीं है। गिरफ्तारी के समय, अभियुक्त के गिरफ्तारी ज्ञापन में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया था कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। जिस परिसर से आवेदनकर्ता को गिरफ्तार किया गया है, वहां के सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि आवेदनकर्ता की गिरफ्तारी 03.01.2026 को दोपहर 01:10 बजे की गई है, हालांकि, विधिक व्यवस्था का घोर अनादर करते

अस्वीकरण:
“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

हुए, पुलिस किसी अन्य समय पर फर्जी गिरफ्तारी दिखा रही है और इसके अतिरिक्त, इस मामले में एक फर्जी गिरफ्तारी ज़ापन भी तैयार किया गया है, जो कि दूषित और चतुराई से की गई जांच का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदनकर्ता का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 03.01.2026 से जेल में निरुद्ध है। जेल से रिहा होने के पश्चात आवेदनकर्ता के फरार होने या अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। वह यह भी वचन देता है कि यदि वह जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।

अभिलेख के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 23.02.2026 के माध्यम से राज्य के अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति अभिलेख पर रखने का निर्देश दिया था। उक्त के अनुपालन में, अपर मुख्य सचिव गृह, उत्तर प्रदेश शासन, पुलिस आयुक्त लखनऊ और पुलिस महानिदेशक लखनऊ के व्यक्तिगत शपथ पत्र, राज्य अधिकारियों की ओर से दाखिल किए गए हैं, जिन्हें अभिलेख पर लिया जाता है। यद्यपि एक जांच रिपोर्ट दिनांक 19.03.2026 को पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत की गई थी, किंतु उस पर विचार करने के उपरांत, पुलिस महानिदेशक कार्यालय द्वारा कुछ कमियां पाई गईं और कुछ बिंदुओं पर पुलिस उपायुक्त के पद से नीचे के रैंक के अधिकारी द्वारा विस्तृत जांच करने के लिए आगे के निर्देश जारी किए गए हैं। यह भी अभिलेख पर लाया गया है कि वर्तमान मामले की जांच अपराध शाखा को हस्तांतरित कर दी गई है और सहायक पुलिस आयुक्त श्रेणी के एक अधिकारी को सौंपी गई है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और इस तथ्य पर विचार करने के उपरांत कि पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों की जाँच अभी भी प्रक्रियाधीन है और इसके संपन्न होने में कुछ समय लगेगा, इस न्यायालय का यह मत है कि आवेदक की स्वतंत्रता को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं रखा जा सकता है, विशेष रूप से तब, जब जाँच पहले ही एक स्वतंत्र एजेंसी को हस्तांतरित की जा चुकी है। इस प्रकार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का यह विचार है कि आवेदनकर्ता को जमानत पर रिहा करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त वाद अपराध संख्या से संबंधित अभियुक्त- सत्यम पाण्डेय को संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध-पत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नवत शर्तों के अधीन, उक्त मामले में जमानत पर रिहा कर दिया जाए:-

यहाँ जमानत की शर्तों और न्यायालय के निर्देशों का औपचारिक हिंदी अनुवाद दिया गया है:

- (i) आवेदनकर्ता अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (ii) आवेदनकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा;
- (iii) आवेदनकर्ता विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा।

कोई भी अन्य शर्त (शर्तें) जो विचारण न्यायालय/संबंधित न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे, वे भी अधिरोपित की जा सकती हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं और विचारण के गुण-दोष पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त, जहाँ तक पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों की जाँच का संबंध है, यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य अधिकारियों द्वारा जाँच निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संचालित की जाएगी और इसे शीघ्रता से, अधिमानतः तीन सप्ताह की अतिरिक्त अवधि के भीतर संपन्न किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

मार्च 30, 2026

श्रवण

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”